

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल एवं एन ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा0सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011-12/1437-1456

दिनांक : 09/09/2024

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-10, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10, पी-10ए तथा पी-13 लाइसेंसधारी जिनकी दुकानें/परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरियाणा सीमा से दिल्ली में 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं, उनके द्वारा हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के कारण मतदान समाप्ति तक दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को सायं 6:00 बजे से दिनांक 5 अक्टूबर, 2024 को सायं 6:00 तक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तथा पुनः हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव का मतगणना दिवस होने के कारण दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 (पूरा दिन) को "शुष्क दिवस" (ड्राइ डे) माना जाएगा।

रवि झा

(रवि झा)

आयुक्त (आबकारी)

प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
3. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मंडलीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली, पुराना सेंट स्टीफंस कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
7. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. मुख्य चुनाव अधिकारी (सीओई), हरियाणा, 30 बेज भवन, सेक्टर-17, चंडीगढ़-160017 को दिनांक 18.8.2024 के पत्र के संबंध में।
10. सूचना एवं प्रचार निदेशक को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना हेतु।
13. उपायुक्त (कर/आबकारी), आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।
14. संयुक्त निदेशक (आईटी) (ईएससीआईएमएस) को आईटी के माध्यम से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
15. प्रबंध निदेशक, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और महा-प्रबंधक, डीसीसीडब्ल्यूएस।
16. समस्त शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस आदेश को अपने नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारियों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
17. समस्त आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षकों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
18. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
19. समस्त लाइसेंसधारी।
20. गार्ड फाइल।



(रमेश चंद्र मीणा)
उपायुक्त (आबकारी)